महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रेन से आने वाले प्रत्येक यात्री की होगी कोविड जांच

रायगढ़ । कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के नियंत्रण व रोकथाम के लिये सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्रेन से जिले में पहुंचने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले के रायगढ़ व खरसिया रेलवे स्टेशन में 24×7 घंटे कोविड जांच टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि जिन यात्रियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें घर जाने दिया जाएए तथा जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें क्वारेंटीनन सेंटर या कोविड उपचार केन्द्र भेजने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए।

श्रमिकों की सहायता के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी, श्रमिक सुविधा केन्द्र प्रारंभ

रायगढ़। छ.ग. राज्य में कोराना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण एवं इसमें उत्पन्न विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के भीतर कार्यरत श्रमिक अथवा अन्य राज्यों में रोजगार हेतु प्रवास पर गए श्रमिक अथवा अपने जिले से अन्य जिलों पर रोजगार हेतु प्रवास पर जाने वाले श्रमिक, या उन्हें वर्तमान कार्यस्थल पर कोई समस्या हो, या रेल अथवा बस के माध्यम से छ.ग.में वापसी पश्चात गृह नगर जाने में अथवा कोविड-19, कोरोना वायरस से संबंधी कोई समस्या हो तो ऐसे समस्या को श्रम विभाग के श्रम सुविधा केन्द्र (हेल्प लाईन सेंटर) से परामर्श एवं आवश्यकता अनुसार सहयोग करने के लिए 11 अप्रैल 2021 से छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल, शान्ति नगर रायपुर में प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रमिक सुविधा केन्द्र में वर्तमान में मोबाईल नंबर 9109849992, दूरभाष नंबर 0771- 2443809 के माध्यम से श्रमिकों के कॉल सुने जाऐंगें एवं इन श्रमिकों कि मदद की जायेगी यह सुविधा श्रमिको हेतु 24×7 होगी।

छिछपानी जंगल में बन रही थी शराब, पुलिस ने की कार्रवाई

लावारिश मिले 100 लीटर महुआ शराब और पात्र का किया नष्ट

रायगढ़। शनिवार को पुलिस चौकी प्रभारी कनकबीरा उप निरीक्षक गिरधारी साव को मुखबिर से सूचना मिली कि छिछपानी जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बनाया जा रहा है। सूचना पर कार्यवाही के लिये चौकी प्रभारी हमराह स्टाफ को लेकर सुबह करीब 06:00 बजे मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी किये। मौके पर पुलिस टीम को कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला, अज्ञात आरोपियों द्वारा नाला के अंदर महुआ शराब बनाने के लिये भट्ठी लगा रखे थे जिसमें शराब बनाने का पात्र चढा हुआ था तथा करीब 100 लीटर महुआ शराब बनकर तैयार था। पुलिस टीम द्वारा मौक पर मिले 100 लीटर महुआ शराब एवं बनाने के पात्र को नष्ट किया गया है।

झड़-फुंक का झांसा देकर पैसा ऐंठ कर हत्या करने वाले मध्यप्रदेश के 4 आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा (आरएनएस)। 01 जनवरी 2021 को ग्राम बुधवारा निवासी सुरेश कौशिक की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर लोहारा में ईलाज के लिए लाते समय मृत्यु हो जाने से मृतक के परिवारजनों द्वारा गांव में जाकर स्वतः अंतिम संस्कार (कफन-दफन) कर दिया गया था। मृतक के शव के दफनाने के 05 दिन बाद दिनांक 06.01.2021 को मृतक के परिजन द्वारा मृतक के मृत्यु के संबंध में शंका होने एवं जांच हेतु आवेदन पत्र पुलिस चौकी बाजार चारभाठा में प्रस्तुत किया। प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विधिसंगत् कार्यवाही करते हुए कार्यपालिक मजिस्टेªट के समक्ष मृतक सुरेश कौशिक के शव उत्खनन कार्यवाही कर शव का डॉक्टरो के संयुक्त टीम द्वारा पोस्टर्माटम किया गया। प्रकरण में घटना क्षेत्र थाना सहसपुर लोहारा का होने से प्रकरण की अग्रिम जांच कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा थाना सहसपुर लोहारा को सौंपा गया। प्रकरण में मर्ग जांच दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के कथन एवं जांच पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर मृतक के मृत्यु के अज्ञात कारणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा के नेतृत्व में टीम तैयार कर प्रकरण हर पहलू की बारिकी से जांच पड़ताल प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में पुलिस टीम को इस तथ्य की जानकारी हुई कि मृतक सुरेश कौशिक अपने मित्र रामफ्ल कौशिक एवं उसके पिता हरिशंकर कौशिक के साथ ग्राम जगला जंगल में किसी बैगा से मिलने एवं झाड़-फुंक्र पुजा पाठ कराने गये थे।

कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त, 6 दुकानें सील व एक पर 26 हजार का जुर्माना

» रायगढ़ और सारंगढ़ में हुई कार्यवाही

रायगढ़ । कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए 14 अप्रैल से लॉक डाउन लगने जा रहा है। इस बीच जरूरी सामानों की कालाबाजारी व जमाखोरी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम को दिया है। उन्होंने दुकानों की नियमित जांच करने व शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। इसको लेकर आज रायगढ़ और सारंगढ़ में मार्केट में एसडीएम और उनकी टीम द्वारा कालाबाज़ारी व अधिक दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गयी।

रायगढ़ में एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने कोतरा रोड स्थित डीएस मार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर 1000 रुपये व पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन व अधिक कीमत पर सामान बेचते पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 36 (1) व 18(1) के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार विभिन्न दुकानदारों द्वारा दालों को अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत पर वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स, तुलसी ट्रेडर्स, प्रेमी प्रोविजन और गर्ग ट्रेडर्स को सील कर दिया गया। इस दौरान मार्केट में दुकानदारों द्वारा कोविड गाइडलाइन्स के पालन की भी जांच की गयी। जिसमें एम जी रोड स्थित रविश्री ट्रेडर्स, मालधक्का स्थित रमेश ट्रेडिंग और कमल लालवानी पर दुकान में बिना मास्क लगाए व्यापार करते पाए जाने पर प्रत्येक पर 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। इस दौरान सहायक खाद्य निरीक्षक चितरंजन सिंग और नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर भी मौजूद रहे।

सारंगढ़ में प्रिंट रेट व तय कीमत से अधिक में सामान बेचते पाए जाने पर प्रतापगंज स्थित पवन ट्रेडर्स और अग्रसेन चौक स्थित आकाश एजेंसी को सारंगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल ने सील कर दिया है।

धारदार हथियार से महिला की हत्या, अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत ग्राम लोहाखान कुनकुनी में रहने वाले परमानंद राठिया पिता रामलाल राठिया उम्र 40 वर्ष की दिनांक 10-11 अप्रैल की दरम्यानी रात किसी अज्ञात आरोपी द्वारा धारधार हथियार से गले में प्राण घातक चोंट पहुंचाकर हत्या करने की रिपोर्ट आज सुबह मृतक के लड़के दीपक कुमार 18 साल द्वारा थाना खरसिया में दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू हमराह स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुये।

घटना के संबंध मृतक के लड़के ने बताया कि लोहाखान कुनकुनी में हमारे घर के अलावा एक छोटा सा झोपड़ी कमरा है, उसी कमरे में पिताजी मृतक पिछले छः महीने से अकेले सोते हैं, पिताजी पत्थर फोड़ने का काम करते थे, दिनांक 10.04.21 की रात्रि खाना खाकर मां, बहन के साथ घर के कमरे में प्रतिदिन की तरह सो रहा था, पिता अकेले झोपड़ी कमरा में सोये थे। दिनांक 11.04.21 को प्रातः करीब 06:00 बजे मां शकुन्तला राठिया सोकर उठी तो हमारे घर का दरवाजा बाहर से कोई बंद कर दिया था। मां, पिताजी को दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी नहीं सुनने पर बहन ज्योति राठिया अपने मोबाईल फोन से चाचा सदानंद राठिया को फोन कर घर का दरवाजा खोलवाई। उसके बाद मां जाकर पिताजी को देखी खाट में सोये अवस्था में पड़े हुये थे, कोई अज्ञात व्यक्ति पिता के गले मे धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 234/2021 धारा 302 आईपीसी पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी खरसिया द्वारा घटना के संबंध में मृतक के परिवारवालों, आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है।

होम आइसोलेशन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

» कोरोना संक्रमित मरीज दिए गए नंबर पर करे संपर्क

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन के निर्देश पर रायपुर जिले में होम आईसोलेशन के दौरान किसी भी सहायता के लिए संपर्क करने कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है।

होम आइसोलेशन वाले मरीजों को आपात स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाने हेतु एम्बुलेंस व्यवस्था सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक हेतु सहायक नोडल अधिकारी ए.ओ. लॉरी उप संचालक रोजगार फोन नं- 94063-46840, है। इनके सहयोग के लिए विक्रम सिंह, डी.पी.एम. फोन नं- 91791-13793, शिवेन्द सिंह डी.पी.एम फोन नं- 98930-61946, चंद्रिका प्रसाद वर्मा,सहायक प्रभारी पढ़ना बढ़ना अभियान फ़ोन न 98271-55516 और अलंकार परिहार, सहायक प्रभारी पढ़ना बढ़ना अभियान फ़ोन न 98271-72212 उपस्थित है।

दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए डी.के. सिंह उप संचालक मत्स्य पालन विभाग फोन नं- 88397-78979 को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके सहयोग के लिए एच.आर. देवांगन, सहा. मत्स्य अधि. फोन नं- 83193-82779, सु अनुभूति देवांगन, सहा. मत्स्य अधि. फोन नं- 86691-22430,सु कामिनी साहू सहायक शिक्षक फ़ोन न 99933-18085 और प्रकाश दीवान व्याख्याता फ़ोन न 98271-75990 उपस्थित है।

शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक के लिए नोडल अधिकारी सी.एल शर्मा सहा. परियोजना अधि. साक्षर भारत फोन नं- 98279-58846 तथा इनके सहयोग के लिए लोकेश वर्मा प्रभारी पढ़ना बढ़ना अभियान फोन नं- 9977-451981, समर अब्बासी, सहायक शिक्षक, फोन नं- 90396-58761, रूपेश निषाद सहायक शिक्षक फ़ोन न 9617726463 और आयुष पिल्ले प्रभारी पढ़ना बढ़ना अभियान को दायित्व सौपा गया है।

पुलिस को चुनौती देने वाले दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

रायगढ़/छाल । नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी कुशल सारथी पिता सदानंद सारथी उम्र 20 साल निवासी भातपुर थाना कोतरारोड़ की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। आरोपी पर थाना छाल अन्तर्गत रहने वाली बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने एवं बालिका की आपत्तिजनक तस्वीरों को उसके परिजनों को भेजने का आरोप है। घटना के संबंध में थाना छाल में अप.क्र. 41/2021 धारा 363,366,354, भादवि, 12 पाक्सो एक्ट , 67(क) आईटी एक्ट + धारा 376, 368, 34 आईपीसी 6 पास्को का अपराध पंजीबद्ध है। थाना प्रभारी छाल व प्रकरण के विवेचक निरीक्षक विवेक पाटले द्वारा मुख्य आरोपी कुशल सारथी तथा आरोपी के फरार रहने दौरान आरोपी के लुकने छिपने में मदद करने तथा उसे कम्प्युटर, इंटरनेट मुहैया करने वाले दो सहआरोपी बजरंग उर्फ चुड़ामणी सारथी निवासी पुरैसना एवं मोरध्वज चौहान निवासी सोंड़का को अजमानतीय धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण में

चालानी कार्यवाही शेष है।

आरोपी कुशल सारथी गिरफ्तारी के पूर्व छाल पुलिस एवं सायबर सेल स्टाफ को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहा था। दरअसल आरोपी कुशल सारथी थाना छाल क्षेत्र की बालिका को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का प्रलोभन देकर दिनांक 09.12.2020 को भगाकर अपने गांव ले आया था, जिसे खोजबिन कर बालिका के परिजन उसे वापस ले गये। जिसके बाद आरोपी कुशल सारथी बालिका के पिता को धमकी देने लगा कि लड़की को मेरे पास वापस भेजों नही तो उसकी अश्लील फोटो फेसबुक में डालकर बदनाम कर दूंगा, जिसे बालिका के परिजन समझाये पर कुशल नहीं माना और लडकी के अश्लील फोटो लड़की के घरवालों के मोबाइल पर भेजा। दिनांक 05.03.2021 को अपराध कायम होने के बाद से आरोपी कुशल फरार हो गया और इतना ही नहीं उसके बाद वह लगातार लड़की के नाम पर बने फेसबुक एकाउंट का उपयोग कर लगातार अश्लील फोटो अपलोड़ करने लगा और व्हाटसअप, मैसेंजर पर चैटिंग कर लड़की के घरवालों को धमकी देने लगा। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा छाल पुलिस एवं सायबर सेल को शीघ्र आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिये। शातिर आरोपी पकड़े जाने के डर से अपना मोबाइल बंद कर आईपी बदल-बदल कर व्हाटसअप और मेसेंजर के जरिये कॉल, चैटिंग करता था। सायबर सेल स्टाफ जब व्हाटसअप पर कॉल कर आरोपी को सरेंडर करने कहा गया तो उसने चुनौती भरे लफ्जों में बोला कि ÷मुझे गिरफ्तार कर दिखाओ÷। उसके बाद आरोपी किसी नये नम्बर से आये व्हाटसअप कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था, तब सायबर सेल स्टाफ आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे दोस्ती किये। सायबर एक्पर्ट द्वारा पता लगाया गया कि आरोपी नेट कहां से यूज कर रहा है, जानकारी मिली कि उसके फूफा बजरंग उर्फ चुड़ामणी सारथी के मोबाइल से हॉट स्पॉट लेकर, फूफा के कम्प्युटर पर फेसबुक लॉगिन कर मैसेज भेजता है। तब उसके फूफा बजरंग और उसके दोस्त मोरध्वज चौहान तक पुलिस पहुंची। इधर छाल पुलिस के गिरफ्तारी के लिये बनाया गया दबाव भी काम आया और आरोपी के सोंड़का में छिपे होने की जानकारी मिलने पर छाल टीआई विवेक पाटले तत्परता दिखाते हुए दलबल के साथ सोंड़का खरसिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पहले आरोपी पुलिस को गिरफ्तारी के लिये चुनौती दे रहा था वही अब न्यायालय के समक्ष जमानत की गुहार लगा रहा है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। तीनों आरोपी अभी भी जेल में निरूद्ध है।

बाइक चोरी के दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

रायगढ़। थाना बरमकेला अन्तर्गत ग्राम लेन्ध्रा निवासी नित्यानंद पटेल उम्र 53 वर्ष के घर के बाहर खड़ी मोटर सायकल प्लेटिना को दिनांक 10/04/2021 की रात्रि ग्राम कुम्हारी निवासी राजेश पटेल और ग्राम कनकीडीपा निवासी मनोज पटेल चोरी कर भाग रहे थे जिसे गांववाले पकड़े। बाइक चोरी की रिपोर्ट आज दिनांक 11.04.2021 को नित्यानंद पटेल द्वारा थाना बरमकेला में दर्ज कराया गया है, चोरी के रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार व चोरी की बाइक जप्ती कर दोनों को रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 10/04/2021 को नित्यानंद पटेल अपनी प्लेटीना मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13-एई1198 को घर सामने रात्रि 08/00 बजे खडा किया था, रात्रि करीब 09/00 बजे नित्यानंद देखा तो मोटर सायकल को कोई चोरी कर ले गया था। गाँव में बाइक के संबंध में पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति मोटर सायकल को ग्राम कनकीडीपा का मनोज पटेल और ग्राम कुम्हारी का राजेश पटेल को बाइक को ले जाते देखना बताया। तब गांव के कुछ लोगों के साथ नित्यानंद पटेल कुम्हारी जाकर राजेश पटेल से पूछताछ किया तो मोटर सायकल को चोरी करना एवं मनोज पटेल निवासी कनकीडीपा के यहां छिपाकर रखना बताया। बाइक चोरी की रिपोर्ट पर आरोपी 1- राजेश पटेल पिता धनसाय पटेल उम्र 33 वर्ष निवासी कुम्हारी थाना बरमकेला 2- मनोज पटेल पिता रामाधार पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी कनकीडिपा थाना बरमकेला के विरूद्ध अप.क्र. 126/2021 धारा 379,34 भादवि दर्ज कर आरोपियों से चोरी की बाइक की जप्ती कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सारंगढ़ के न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया। दोनों आरोपियों का माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर दोनों को जेल दाखिल किया गया है।

राज्य में उत्पादित आक्सीजन का 80 प्रतिशत मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जायेगा

» अत्यंत आवश्यक स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत आक्सीजन भी अस्पतालों को प्रदान की जायेगी

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी

रायपुर रायपुर (आरएनएस)। राज्य में उत्पादित होने वाली आक्सीजन का 80 प्रतिशत अब मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जायेगा । राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में आक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी हैं । आदेश में यह भी कहा गया हैं कि अत्यंत आवश्यक स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत आक्सीजन भी अस्पतालों को प्रदान की

जायेगी । स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सी आर प्रसन्ना द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं कि समस्त आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन निरंतर बिना रुकावट के अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फैक्ट्री में किया जाए । राज्य के सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसे लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया हैं ।

बिलासपुर में 14 से 21 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉकडाउन कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिलासपुर (आरएनएस)। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन का आदेश जारी हो गया है। जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल को सुबह 6:00 से 21 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक पूरे इलाके को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्ण तहसील रहेंगी।इस दौरान सभी तरह के दफ़्तर बंद रहेंगे और ज़िले में शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बिलासपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

टीके का समझें महत्व, जल्द करवाएं टीकाकरण-जगन्नाथ साहू

» 45 से अधिक उम्र के लोग जितनी जल्दी लगवाएंगे टीका उतनी जल्द निचली उम्र के लोगों का भी आएगा नंबर-निमाई चरण पंडा

» 2 लाख 63 हजार 273 व्यक्तियों को लग चुके हैं टीके

रायगढ़ । कोरोना महामारी के इस समय में कोविड टीके का महत्व समझते हुए सभी पात्र लोगों को जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए ऐसा कहना है 68 वर्षीय रायगढ़ निवासी जगन्नाथ साहू का, जिन्होंने आज कोविड टीके की पहली डोज लगवायी। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने से वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में शासन निःशुल्क टीके लगा रही है, तो

इसका लाभ उठाएं और जल्द टीका लगवाएं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर किसी भी प्रकार की दुविधा नही रखनी चाहिए। उन्होंने टीका लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव संबंधी सभी उपायों का पालन करने की बात भी कही।

कयाघाट रायगढ़ के निवासी 79 वर्षीय निमाई चरण पंडा ने भी आज कोविड टीके के पहली डोज लगवायी। उन्होंने बताया कि उनका 8 सदस्यीय परिवार है जिसमें 4 लोग 45 वर्ष से ऊपर के हैं और चारों टीका लगवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है इसके तहत सभी पात्र लोगों को जल्द टीका लगवा लेना चाहिए। जितनी जल्दी 45 साल के अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण पूरा होगा उतनी जल्दी निचली उम्र के लोगों को टीका लगवाने का मौका मिलेगा।

इसी प्रकार आज केवडाबाड़ी निवासी 61 वर्षीय मोहन लाल, तेंदुडीपा निवासी 79 वर्षीय किशन दास महंत, 49 वर्षीय श्रीमति सुनीता बाई, विनोबानगर निवासी 86 वर्षीय दयानिधि व कयाघाट निवासी 55 वर्षीय प्रेमलाल जांगड़े ने टीकाकरण करवाया। सभी ने दूसरों से अपील करते हुए कहा कि जितने भी पात्र लोग हैं उन्हें जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए।

उल्लेखनीय है रायगढ़ जिले में 10 अप्रैल तक 2 लाख 63 हजार 273 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं। जिसमें बरमकेला में 34 हजार 229, तमनार में 21 हजार 880, पुसौर में 29 हजार 648, घरघोड़ा में 16 हजार 337, लोइंग में 31 हजार 685, खरसिया में 24 हजार 169, धरमजयगढ़ में 33 हजार 197, सारंगढ़ में 37 हजार 638, लैलूंगा में 20 हजार 688 और रायगढ़ शहरी में 13 हजार 802 लोगों को टीका लग चुका है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480